भाद्रपद शुक्ला
चतुर्दशी
शुक्रवार,
विक्रम संवत् 2076

एकात्म भारत संस्थान के लिए
सुचेंद्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

13 सितंबर 2019

for e-paper visit www.ekatmabharat.com

बरसात में घर खो चुकी वृद्धा के लिए आगे आए विहिप कार्यकर्ता

बूंदी (राजस्थान)

बरसात के कारण बेसहारा हुई उंदालिया की डूंगरी निवासी वृद्धा कैलाशीबाई बैरवा की सहायता के लिए विहिप कार्यकर्ता-पदाधिकारी आगे आए। उसे आटा, दाल, चीनी, तेल, नमक व रसोई की सामग्री दी। उंदालिया की डूंगरी में कैलाशीबाई कच्ची झोपड़ी में रहती है।

पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि में उसका आशियाना उजड़ गया। उसके सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। फिलहाल वह पड़ोसियों के पास रह रही है। विहिप के नगर अध्यक्ष पितांबर शर्मा ने बताया कि वृद्धा से पता लगा कि उसके दो पुत्र थे। एक पुत्र काफी समय पहले घर छोड़कर चला गया और दूसरे का निधन हो चुका। दूसरे बेटे के निधन के बाद उसके दो बच्चों का दादी कैलाशीबाई पालन पोषण कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कैलाशीबाई को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। शर्मा ने बताया कि गुरुवार को प्रशासन को अवगत करवाकर सहायता दिलवाने की मांग की जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में एबीवीपी पांच कॉलेजों में जीती

दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेज यूनियन के भी चुनाव हुए और कई कॉलेजों में रिजल्ट गुरुवार को ही जारी हो गए। मॉर्निंग कॉलेजों में एबीवीपी ने पांच कॉलेजों में क्लीन स्वीप किया है, वहीं एनएसयूआई का पैनल भी 5 कॉलेजों में जीता है। ईवनिंग कॉलेजों का रिजल्ट आना अभी बाकी है।

एबीवीपी का कहना है कि उसने 30 कॉलेजों में अलग अलग पोस्ट जीती हैं। एसआरसीसी में 4 सीट, विवेकानंद कॉलेज, हंसराज कॉलेज में सभी सीटें, भास्कराचार्य कॉलेज (निर्विरोध), अदिति महाविद्यालय और कॉलेज ऑफ वोकेशन स्टडीज में 3-3 सीट, शिवाजी कॉलेज में 5, रामलाल आनंद कॉलेज में 4, सत्यवती कॉलेज(मॉर्निंग) में पैनल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सांइसेज में क्लीन स्पीप, लक्ष्मी बाई कॉलेज में 6 सीट (निर्विरोध) एबीवीपी के कैंडिडेट जीते हैं।

एकात्म भारत ई-पेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं । इसके साथ ही ट्विटर पर @EkatmaBharat को फॉलो कर सकते हैं। शीघ्र ही एकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध होगा। आप ई-मेल ekatmabharat1@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।

छह दिन की सुनवाई में एक भी प्रमाण नहीं दे सका मुस्लिम पक्ष

आयोध्या मामले में अब तक केवल हिंदू पक्ष ने ही दिए हैं प्रमाण, कानून पर अटका है मुस्लिम पक्ष

सुचेंद्र मिश्रा. दिल्ली

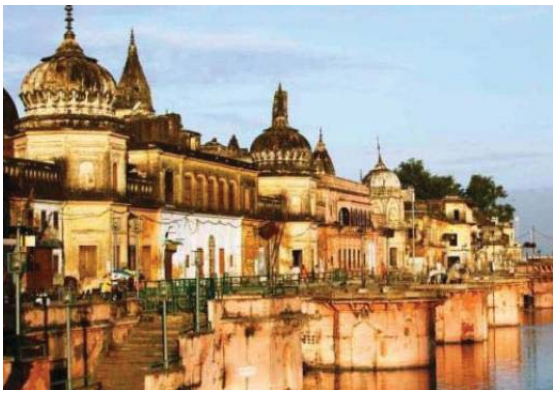

अयोध्या में विवादित स्थल स्वामित्व के लिए उच्चचम न्यायालय में छह दिन से मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी जा रही हैं। लेकिन इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं, हिंदू पक्ष ने वैदिक काल (ईसा पूर्व) से लेकर मुगलकाल और ब्रिटिश राज के समय, गजेटियर, पुरातत्व सबूत, फिरंग यात्रियों के वृत्तांत तक का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष की बहस मुख्य रूप से कानून पर केंद्रित रहीं। उसके वकीलों न तो इतिहास का हवाला दिया, न ही पुरातात्विक सबूतों का।

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 22वें दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने पक्ष रखा। धवन ने सुनवाई से पहले अपनी कानूनी टीम के क्लर्क को धमकी की जानकारी कोर्ट को दी और कहा कि ऐसे गैर-अनुकूल माहौल में बहस करना कठिन है।धवन ने कोर्ट को बताया कि यूपी में एक मंत्री ने कहा है कि अयोध्या हिंदुओं का है, मंदिर उनका है और सुप्रीम कोर्ट भी उनका है। मैं अवमानना के बाद अवमानना दायर नहीं कर सकता। इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट के बाहर इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि दोनों पक्ष बिना किसी डर के अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे बाद धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा की लिमिटेशन 6 साल होनी चाहिए थी। 6 साल की अवधि से बचने के लिए निर्मोही अखाड़ा शेवियेट, बिलांगिंग और कब्जे की दलील दे रहा है, जो कि सही नहीं है क्योंकि निर्मोही सिर्फ सेवादार है जमीन के मालिक नहीं हैं। जबकि धवन ने ही स्वयं कोर्ट को बताया था कि निर्मोही अखाड़ा सेवादार है और वह अयोध्या में 1934 से पूजा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट (मुकदमा दायर करने की समयसीमा संबंधी कानून) की धारा 65 और 142 के तहत प्रतिकूल कब्जा तभी होगा, जब इसमें कब्जे का एनिमस (इरादा) और कॉर्पस (वस्तु) हो तथा ये दोनों संयुक्त रूप से मौजूद हों। धवन ने कहा, 'हमने 1934 में उन्हें पूजा करने की अनुमति दी तो इसका मतलब यह नहीं है वे स्थल पर अधिकार जताने लगेंगे। प्रतिकूल कब्जे के लिए जरूरी है कि यह बलपूर्वक न हो। बाद में मजिस्ट्रेट का आदेश आ गया कि पूजा जारी रखी जाए। यह आदेश एक लगातार जारी रहने वाली गलती थी, जिसके आधार पर अब कब्जा मांगा जा रहा है।' उन्होंने कहा कि कब्जे का एकमात्र उद्देश्य लिमिटेशन एक्ट से बचना था और कुछ नहीं। कब्जा (अंदरूनी आंगन में प्रतिमा रखना) दिसंबर 1949 में लिया गया और 1959 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर टाइटल लेने के लिए केस दायर कर दिया गया। इस पर जस्टिस बोब्डे ने पूछा कि उन्हें कब्जा किसने करने दिया और एक विशेष काम (पूजा) की अनुमति किससे मिली। इस पर धवन ने कहा, 'यदि मुझे उच्चचम न्यायालय में आने की अनुमति है तो क्या कल मैं यह कह सकता हूं कि उच्चचम न्यायालय मेरा है। जस्टिस बोब्डे ने धवन से कहा कि आपको यहां प्रैक्टिस करने की अनुमति है। इसे टाइटल विवाद के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। शुक्रवार से अधिवक्ता जफरयाब जिलानी बहस शुरू करेंगे।

भारत आए 78 पाकिस्तानी हिंदू अब नहीं लौटना चाहते

एकात्म भारत.जयपुर

अपनी बहन-बेटियों को बचाने के लिए पाकिस्तान से भागकर आए हिंदू परिवारों की व्यथा बहुत दुखी कर देने वाली है। यदि पाकिस्तान में हिंदू गरीब है तो न केवल उसकी बेटी असुरक्षित नहीं हैं, उसे रसूखदार मुसलमानों के यहां बंधुआ मजदूरी भी करना पड़ती है। किसी तरह से राजस्थान पहुंचे इन हिंदू अब किसी भी स्थिति में वापस पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते हैं।

यहां अपने गरीब रिश्तेदारों के यहां पहुंचे ये लोग कहीं झोपड़ी बनाकर तो कहीं खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हिंदू भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस से ये लोग भारत पहुंचे थे। इनके पास वापस न लौटने की अपनी अपनी कहानी है। इनमें पांच बेटियों के पिता तमाल मेघवाल भी हैं। तमाल वहां पर डॉक्टर थे और अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी लेकिन लोगों से तंग होकर वह भारत आ गए। डॉ. तमाल अब यहां पर 50 पैसे की टॉफी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति नफरत के बाद घोटकी से जबीर मेघवाल का परिवार आया है। जबीर मेघवाल का कहना है कि उनके यहां घोटकी के पास रोहड़ी में रीना मेघवाल को वहां का जमींदार का लड़का घर से उठा ले गया था। ये लोग पाकिस्तान से परेशान होकर भारत चले आए हैं। यहां से किसी भी कीमत पर वापस लौटना नहीं चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का वीजा भी खत्म होने जा रहा है जिसकी वजह से अब वह ज्यादा दिन भारत में रह नहीं सकते। भारत सरकार का नियम है कि नागरिकता के लिए 7 साल भारत में रहना अनिवार्य है लेकिन जो लोग अभी आए हैं उनके पास किसी भी तरह का ना तो कोई रोजगार है और ना घर है और साथ ही ये डर भी है कि प्रशासन इसके पहले ही उन्हें वापस न भिजवा दे।